अर्धविधिक व्यवहार में डिप्लोमा
(डी.आई.पी.पी.)

अध्यापक जाँच सत्रीय कार्य

(जनवरी 2019 और जुलाई 2019)

बी.एल.ई.–001 : भारतीय विधि व्यवस्था का परिचय

बी.एल.ई.–002 : कानून का परिचय

बी.एल.ई.–003 : विधि और संवेदनशील समूह

बी.एल.ई.–004 : ग्रामीण स्थानीय स्वशासन

विधि विद्यापीठ

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
मैदानगढ़ी, नई दिल्ली–110 068

अर्धविधिक व्यवहार में डिप्लोमा (डी.आई.पी.पी.)

प्रिय विद्यार्थी,

विश्वविद्यालय के निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार आपके द्वारा चुने गए प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए आपको एक सत्रीय कार्य पूरा करना है।

आप पाएंगे कि सत्रीय कार्यों में दिए गए प्रश्न विश्लेषणात्मक (analytical) और वर्णनात्मक (descriptive) हैं ताकि आप अवधारणाओं को बेहतर ढंग से जान और समझ सकें।

यह महत्त्वपूर्ण है कि आप सभी प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखें। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर निकटतम शब्द-सीमा में होना चाहिए। स्मरण रहे कि सत्रीय कार्य के प्रश्नों के उत्तर लिखने से आपके लेखन कौशल में सुधार होगा और आप सत्रांत परीक्षा की तैयारी कर सकेंगे।

स्त्रीय कार्य जमा कराना

आपको अपने अध्ययन केंद्र के संचालक (Co-ordinator) के पास सत्रीय कार्य जमा कराने हैं। आपको जमा कराए गए सत्रीय कार्यों के लिए अध्ययन केंद्र से रसीद अवश्य लेनी चाहिए और इसे अपने पास रखना चाहिए। आप जो सत्रीय कार्य जमा कराएं, कृपया उसकी फोटोकॉपी अपने पास अवश्य रखें।

मूल्यांकन करने के बाद, अध्ययन केंद्र आपको सत्रीय कार्य लौटा देगा। कृपया जाँचे गए सत्रीय कार्यों के लिए आग्रह कीजिए। अध्ययन केंद्र इग्नू स्थित विद्यार्थी मूल्यांकन प्रभाग, नई दिल्ली को अंक भेजेगा।

आपको अपने अध्ययन केंद्र में नीचे लिखे अनुसार सत्रीय कार्य जमा कराने हैं :

जनवरी के लिए 30 सितम्वर, 2019

जुलाई के लिए 30 मार्च ,2020 तक

सत्रीय कार्य करने के लिए दिशा-निर्देश

हम आपसे आशा करते हैं कि आप सत्रीय कार्य में दिए गए निर्देशों के अनुसार ही प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दें। आपको इसके लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना उपयोगी होगा :

1) **योजना :** सत्रीय कार्य को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उन इकाइयों का अध्ययन कीजिए जिन पर वे आधारित हैं। प्रत्येक प्रश्न के संबंध में कुछ बिंदु तैयार कीजिए और फिर उन्हें तर्कसंगत क्रम में व्यवस्थित कीजिए।

2) **आयोजन :** अपने उत्तर की कच्ची रूपरेखा तैयार करने से पहले थोड़ा चयन और विश्लेषण कीजिए। प्रश्न की प्रस्तावना (परिचय) और निष्कर्ष पर पर्याप्त ध्यान दीजिए।

   यह सुनिश्चित कर लें कि :

   क) उत्तर तर्कसंगत और उपयुक्त है।
   ख) वाक्यों और पैराग्राफों का स्पष्ट मेल है।
   ग) आपकी अभिव्यक्ति में प्रस्तुतिकरण सही है।

3) **प्रस्तुतिकरण :** एक बार अपने उत्तर से संतुष्ट होने पर आप सत्रीय कार्य जमा कराने के लिए अंतिम रूप (पाठ) लिख सकते हैं। **अपनी लिखाई में सभी सत्रीय कार्य स्पष्ट रूप से लिखना अनिवार्य है।** यदि आप ऐसा चाहते हैं तो आप जिन बिन्दुओं पर जोर देना चाहते हैं, उनको रेखांकित कीजिए। यह सुनिश्चित कर लें कि आपका उत्तर निर्धारित शब्द सीमा में होना चाहिए।

शुभकामनाओं के साथ!

कार्यक्रम संचालक (डी.आई.पी.पी.)

पाठ्यक्रम कोडः बीएलई–001
सत्रीय कार्य कोडः बीएलई–001/टीएमए/2019–20
कुल अंकः 100

भाग–क

निम्नलिखित में से किन्ही दो प्रश्नों के उत्तर (प्रत्येक) लगभग 600 शब्दों में दीजिए प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का है।

1. संविधान की परिभाशा दीजिए। भारतीय संविधान की मुख्य विषेशताओं की चर्चा कीजिए।
2. भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान है।
3. लोकतंत्र शब्द से आप क्या समझते हैं। प्रत्यक्ष एवं परोक्ष लोकतंत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए।
4. कानूनी सहायता की परिभाषा दीजिए। भारत में लोक अदालत व्यवस्था की चर्चा कीजिए।

भाग–ख

निम्नलिखित में से किन्ही चार प्रश्नों के उत्तर लगभग 300 शब्दों में दीजिए प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का है।

5. विधान क्या है। संसद में बिल पारित करने की कार्यविधि का वर्णन कीजिए।
6. भारत के संविधान में उल्लिखित जीवन के अधिकार और निजी स्वतंत्रता का वर्णन कीजिए। परमादेश रिट पर प्रकाश डालिए।
7. भारत के संविधान में उल्लिखित राज्य के नीति निदेष के सिद्धांतों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। क्या ये सिद्धांत न्यायालय द्वारा लागू किऐ जा सकते हैं।
8. भारत के संविधान में उल्लिखित मूलभूत कर्तव्यों का वर्णन कीजिए।
9. सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने की कार्यविधि का वर्णन कीजिए।
10. हाथों से मैला ढोना क्या है। भारतीय संविधान द्वारा इसे कैसे निशिद्ध किया गया है।

भाग ग

निम्नलिखित में से किन्ही चार प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है।

11. सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार
12. छुआछूत का उन्मूलन
13. उत्प्रेशण
14. पृथक्करणीयता का सिद्धांत
15. मंत्रि परिशद
16. हिरासत में यातना से बचने का अधिकार

पाठ्यक्रम कोडः बीएलई–002
सत्रीय कार्य कोडः बीएलई–002/टीएमए/2019–20
कुल अंकः 100

भाग क

निम्नलिखित में से किन्ही दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 600 शब्दों में दीजिए प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का है।

1. आपराधिक दायित्व की अनिवार्य दशाएं क्या हैं। आपराधिक दायित्व के संबंध में सामान्य अपवादों की भी चर्चा कीजिए।
2. कंपनी क्या है। सार्वजनिक एवं निजी कंपनी में अंतर स्पष्ट कीजिए।
3. सामाजिक सुरक्षा क्या है। भारत में महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा विधानों की संक्षेप में चर्चा कीजिए।
4. हिंदू विधि के तहत वैध विवाह की शर्तें क्या हैं। हिंदू विधि के तहत शून्य और शून्य करणीय विवाह में अंतर स्पष्ट कीजिए।

भाग ख

निम्नलिखित में से किन्ही चार प्रश्नों के उत्तर लगभग 300 शब्दों में दीजिए प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का है।

5. निष्पक्ष सुनवाई के महत्वपूर्ण मूल तत्वों की चर्चा कीजिए।
6. तलाक क्या है। न्यायिक पृथक्करण से यह कैसे भिन्न है।
7. असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए उपलब्ध कानूनी सुरक्षा की चर्चा कीजिए।
8. भारत में पर्यावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित करने में न्यायपालिका की भूमिका की चर्चा कीजिए।
9. उपभोक्ता की शिकायतों के निवारण हेतु उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत उपलब्ध तंत्र की चर्चा कीजिए।
10. साक्ष्य की परिभाषा दीजिए। मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य में अंतर स्पष्ट कीजिए।

भाग ग

निम्नलिखित में से किन्ही चार प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है।

11. जुर्म इकबाल करने की स्वीकार्यता
12. प्रतिनिधिक दायित्व
13. जल (प्रदूशण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, 1974)
14. वसीयती उत्तराधिकार
15. ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926
16. बंधक

पाठ्यक्रम कोडः बीएलई–003
सत्रीय कार्य कोडः बीएलई–002/टीएमए/2019–20
कुल अंकः 100

भाग क

निम्नलिखित में से किन्ही दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 600 शब्दों में दीजिए प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का है।

1. महिला घरेलू हिंसा सुरक्षा अधिनियम, 2005 की मुख्य विषेशता की चर्चा कीजिए।
2. बाल अधिकार, 1989 पर आधारित कन्वेंषन में सम्मिलित विविध अधिकारों का विश्लेषण कीजिए।
3. शिक्षा और रोजगार के संबंध में विकलांग व्यक्तियों के लिए उपलब्ध अधिकारों की आलोचनात्मक जॉच कीजिए।
4. सिविल अधिकार सुरक्षा अधिनियम, 1955 के मुख्य प्रावधानों की चर्चा कीजिए।

भाग ख

निम्नलिखित में से किन्ही चार प्रश्नों के उत्तर लगभग 300 शब्दों में दीजिए प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का है।

5. शिक्षा के अधिकार के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण फैसलों का संक्षेप में विश्लेषण कीजिए।
6. अनुसूचित जातियाँ एवं अनुसूचित जनजाति (उत्पीड़न निवारण) अधिनियम 1989 के तहत परिभाशित अपराधों की संक्षेप में चर्चा कीजिए।
7. भारत में बालश्रम की समस्या की चर्चा कीजिए और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस समस्या से कैसे निपटा गया है।
8. एचआईवी रोगी की गोपनीयता के अधिकार और रोग के खुलासे में सम्मिलित मुद्दों की चर्चा कीजिए।
9. समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 की मुख्य विषेशताओं की चर्चा कीजिए।
10. विकलांगता के मेडिकल मॉडल की आलोचनात्मक जाँच कीजिए।

भाग ग

निम्नलिखित में से किन्ही चार प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है।

11. बधुआ मजूदर
12. विकलांगता के संबंध में अधिकार आधारित दृश्टिकोण
13. पुनर्वास परिशद अधिनियम 1992
14. महिला श्रमिकों के अधिकार। राष्ट्रीय बाल श्रम नीति ।
15. दहेज महिलाओं के प्रति हिंसा के एक रूप में
16. शिक्षा का अधिकार

पाठ्यक्रम कोडः बीएलई–004
सत्रीय कार्य कोडः बीएलई–002/टीएमए/2019–20
कुल अंकः 100

भाग क

निम्नलिखित में से किन्ही दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 600 शब्दों में दीजिए प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का है।

1. ग्राम सभा की परिभाषा कीजिए। ग्राम सभा की शक्तियों एवं प्रकार्यों की चर्चा कीजिए।
2. सूक्ष्म वित्त क्या है। सूक्ष्म वित्त के विभिन्न मॉडलों की चर्चा कीजिए।
3. ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत ग्राम न्यायल के सिविल एवं आपराधिक अधिकार क्षेत्रों की चर्चा कीजिए।
4. आपदा प्रबंधन क्या है। प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के विविध प्रकारों का ब्यौरा दीजिए।

भाग ख

निम्नलिखित में से किन्ही चार प्रश्नों के उत्तर लगभग 300 शब्दों में दीजिए प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का है।

5. भारत के संविधान में उल्लिखित काम के अधिकार की संकल्पना।
6. घर पाने का हक क्या है। इस हक के महत्व को बढाने वाले सांविधानिक प्रावधानों और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की चर्चा कीजिए।
7. सर्वोपरि अधिकार की संकल्पना का वर्णन, उदाहरण देते हुए कीजिए।
8. स्वास्थ्य का अधिकार क्या है। स्वास्थ्य के अधिकार से संबंधित सांविधानिक प्रावधानों और अंतर्राष्ट्रीय प्रपत्रों की चर्चा कीजिए।
9. सामाजिक सुरक्षा क्या है। सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में सामाजिक सुरक्षा, जवाबदेही की राह को सुगम कैसे बना सकती है।
10. जल अधिकार की परिभाषा दीजिए। देश के विविध कानूनों के तहत इसे कैसे सुरक्षित किया जाता है।

भाग ग

निम्नलिखित में से किन्ही चार प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है।

11. भू के प्रकार
12. राज्य वित्त आयोग
13. न्यूनतम बेरोजगारी भत्ता
14. भोजन का अधिकार
15. जनजातियों के भू–अधिकार
16. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति

बीएलईपी–001: परियोजना

प्रिय विद्यार्थी,

इस पाठ्यक्रम में आपको नीचे दिए गए विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 4000 शब्दों में एक परियोजना (च्तवरमबज) लिखनी है और इसे अपने अध्ययन केंद्र/क्षेत्रीय केंद्र में जमा कराना है। परियोजना लिखने से पहले आप अध्ययन सामग्री के साथ भेजी गई परियोजना दर्शिका बी.एल.ई.पी.–001 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कृपया निम्नलिखित पैराग्राफों को भी ध्यान से पढ़िए।

इस परियोजना को लिखने से पहले हमारा आपको सुझाव है कि आप निकटतम विधि पुस्तकालय (सूं स्पइतंतल) में जाएँ। आप लॉ कालेजों, बार एसोसिएशनों आदि के पुस्तकालयों में इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। कुछ अच्छे वकीलों के पास भी ऐसे पुस्तकालय हैं। इन पुस्तकालयों में आपको अधिनियम, व्याख्याएँ (बवउउमदजंतपमे), डायजेस्ट जर्नल (पत्र.पत्रिकाएँ) आदि मिलेंगे। महत्वपूर्ण जर्नल हैं–आल इंडिया रिपोर्टर, सुप्रीम कोर्ट केसेज (ब्ब) आदि। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन जर्नल भी हैं जैसे मनुपत्र आदि। अनेक वेबसाइट भी उपलब्ध हैं जैसे पदकपंबवकमण्दपबण्पद जिसमें आपको संसद के सभी अधिनियम मिल सकते हैं।

जर्नलों में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पूरे निर्णय है, निर्णय के आरंभ में दी गई मुख्य टिप्पणियों के आधार पर, आप अपनी परियोजना की विषयवस्तु (जीमउम) के अनुसार उनका चयन कर सकते हैं। इसके बाद इन चुने हुए निर्णयों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उन्हें पढ़ते हुए, उन तथ्यों तथा तर्कों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी तैयार कीजिए जिन पर ये निर्णय आधारित हैं। परियोजना में हम आपसे निर्णयों का मूल विश्वलेषण प्रस्तुत करने की आशा करते हैं।

परियोजना के लिए विषय

1. भारत में कानूनी सहायता तंत्र
2. महिला कामगार के अधिकार
3. बाल श्रम की समस्या एवं भारत का सर्वोच्च न्यायालय
4. असंगठित क्षेत्र के श्रम संबंधी अधिकार
5. महिलाओं के प्रति हिंसा के विविध रूप
6. आश्रय का अधिकार
7. भोजन का अधिकार
8. विकलांग व्यक्तियों के अधिकार एवं भारतीय कानून

किसी भी स्पष्टीकरण और मार्गदर्शन के लिए, अपने अध्ययन केंद्र के परामर्शदाता अथवा कार्यक्रम संचालक (च्तवहतंउउम ब्वतकपदंजवत) से निस्संकोच संपर्क कीजिए।

शुभकामनाओं के साथ!

कार्यक्रम संचालक